न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 459/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. रोहिताश कुमार पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

– वादीगण

बनाम्

1. राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण
2– श्री राधे शर्मा– वकील प्रति सं. 1
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– प्रति.संख्या 2

निर्णय   दिनांक :– 2.7.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण के नाम से चक 4 आर.टी.पी. जमाबंदी सम्वत 2072–2075 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 150/65 में वादी सं. 1 के नाम से 1.855है.,वादी सं. 2 के नाम से 0.084है.कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 12 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत 2073–2076 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 63/18 में 1.025 है. में से 0.341है. अर्थात 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबंदीयां संलग्न वाद पत्र है। वाद–पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण एव प्रतिवादी सं. ने अपनी–अपनी कृषि भूमि के एकीकरण व रास्ता खाला के उदेश्य से कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है वादी सं. 1 को चक 12 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत 2073–2076के खाता सं.63/18 में 0.085 है. व वादी सं. 2 को 0.084 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.169 है हिस्सा कम करवाने के व चक 4 आर.टी.पी जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता सं. 150/65 में प्रतिवादी सं. 1 को 0.169 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1 का 0.085है. व वादी सं. 2 का 0.084 है. हिस्सा कम करवाने के वादीगण अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 मौका पर वाद–पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार ही काबिज है कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:25:00
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा घोषित न होने के कारण व वादीगण के परिवार में असंतोष बना रहेगा व खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है प्रतिवादी सं. 1 पहले तो टाल मटौल करता रहा लेकिन अंत में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गयी यही वाद कारण है। वाद कृषि भूमि के घोषणा का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

लिहाजा वाद निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि वादी सं. 1 को चक 12 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत 2073–2076के खाता सं.63/18 में 0.085है. व वादी सं. 2 को 0.084 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.169है हिस्सा कम किया जावे व चक 4 आर.टी.पी जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता सं. 150/65 में प्रतिवादी सं. 1 को 0.169 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी सं. 1 का 0.085 है. हिस्सा कम किया जावे व वादी सं. 2 का 0.084 है. कम कर वादी सं. 2 का नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादीगण को न्याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी संख्या 2 रोहिताश कुमार ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 12 एसबीएन खाता सं. 63/18 एव चक 4 आरटीपी खाता संख्या 150/65 की जमाबंदी प्रदर्श करवाई गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण के नाम से चक 4 आरटीपी ज.स. 2072–75 के खाता संख्या 150/65 में वादी संख्या 1 के नाम 1.855 है. वादी संख्या 2 के नाम 0.085 है. क[illegible] भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 12 एसबीएन ज.स. 2073–2076 खाता सं. 63/18 में 1.025 है. मे से 0.341 है. अर्थात 1/3 हिस्सा दर्ज है [illegible] जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक चक 12 एसबीएन खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:25:0
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

व 63/18 एवं चक 4 आरटीपी खाता संख्या 150/65 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श करवाई गई है के आधार पर वादपत्र मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अभिभाषक पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 व 2 मे वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 1 ता 2 से पैतृक साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी 1 मध्य राजीनामा पेश हो चुका है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण मे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वादीगण के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 12 एसबीएन खाता संख्या 63/18 वादी संख्या 1 को 0.084 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.084 है. हिस्सा कम किया जावे। वादी संख्या 2 को 0.085 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.085 है. हिस्सा कम किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया के हक वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 4 आरटीपी खाता संख्या 280/150 प.न. 179/194 मु.न. 78 किला नं. 9/3/0.084 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजित कर रकम राज अलग से कायम की जावे। तथा चक 4 आरटीपी खाता संख्या 278/150 प.न. 179/194 मु.न. 78 किला नं. 9/1/0.085 है. चक 4 आरटीपी के उक्त खाता संख्या 278/150 में वादी संख्या 2 का 0.085 है. हिस्सा कम कर नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 02-07-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:25:0
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 459/2023

1. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. रोहिताश कुमार पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

वादीगण

बनाम्

1. राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 श्री राधे शर्मा एडवोकेट एवं राज पैशकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि :– चक 12 एसबीएन खाता संख्या 63/18 वादी संख्या 1 को 0.084 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.084 है. हिस्सा कम किया जावे। वादी संख्या 2 को 0.085 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.085 है. हिस्सा कम किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया के हक वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 4 आरटीपी खाता संख्या 280/150 प.न. 179/194 मु.न. 78 किला नं. 9/3/0.084 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजित कर रकम राज अलग से कायम की जावें। तथा चक 4 आरटीपी खाता संख्या 278/150 प.न. 179/194 मु.न. 78 किला न. 9/1/0.085 है. चक 4 आरटीपी के उक्त खाता संख्या 278/150 में वादी संख्या 2 का 0.085 है.हिस्सा कम कर नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....:निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X.... अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02.07.2024.....को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:25:00 I
Reason: SelfAttested